माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, केन्द्रीय सूचना आयोग , नईदिल्ली

वीरेश कुमार चौबे वनाम सी0पी0आई0ओ0,माननीय उच्चन्यायालय, इलाहाबाद एवं अन्य

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–18 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सम्माननीय श्रीमान ,

सद्भावपूर्वक सविनय निवेदन है कि ,

1 – यह कि द्वितीय अपील सं0 एस 5–1 / ए / 2009 वीरेश कुमार चौबे वनाम ए. के. गनेश, सीपीआईओ, जिलान्यायालय आदि माननीय राज्यसूचनाआयोग, उ0प्र0, लखनऊ में दिनॉक 03–06–2008 से लम्बित रही है। उपरोक्त अपील प्राथमिक रुप से प्रार्थी ने माननीय केन्द्रीयसूचनाआयोग के समक्ष प्रस्तुत की थी। जिसे माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नईदिल्ली द्वारा File No. CIC/MA /Miss Uttar Pradesh /08/0008 दिनॉक 22/08/2008 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त , उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग लखनऊ को अग्रसारित किया गया था । उस समय प्रतिवादी माननीय सी0पी0 आई0ओ0,जिलान्यायालय ललितपुर एवं माननीय अपील अधिकारी ,जिला न्यायालय ललितपुर पक्ष थे। किन्तु पश्चातवर्ती स्वीकारोक्ति से यह स्थापित हो चुका है कि वांछित सूचना माननीय उच्चन्यायालय से सम्बन्धित हैं जिसे वह देने में बहानेबाजी कर रहा है क्योंकि माननीय राज्यसूचनाआयोग के माननीय सूचनाआयुक्त महोदय रिटायर्ड जिलाजज हैं जिनकी पेंशन आदि के प्रकरण माननीय उच्चन्यायालय में लम्बित हैं।

2 – यह कि उक्त अपील में मॉगी गई सूचना को माननीय राज्य सूचनाआयोग के समक्ष जिलान्यायालय ललितपुर के जनसूचनाअधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से सम्बन्धित बताकर सूचना देने में असमर्थता व्यक्त की थी।जिस पर दिनॉक 05 / 10 / 09 एवं दिनॉक 30–11–09 को माननीय राज्य सूचनाआयोग द्वारा सी0 पी0आई0ओ0,माननीय उच्चन्यायालय, इलाहाबाद को तलब किया था तथा दिनॉक 24–02–09 को केन्द्रीयजनसूचनाअधिकारी,माननीय उच्चन्यायालय,इलाहाबाद उपस्थित हुए थे एवं दिनॉक 26–05–2010 को माननीय आयोग ने सीपीआईओ, जिलान्यायालय ललितपुर को आयोग में उपस्थिति से मुक्त कर दिया था। केवल सी0पी0आई0ओ0,माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद ही उपस्थित हो रहे हैं।

3–यह कि लगभग तीन वर्ष से अपील लम्बित होने के वावजूद माननीय राज्य सूचनाआयोग उ0प्र0 प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करा पाया है एवं

प्रार्थनापत्र दिनॉक 24/02/2010 व 26/5/2010 एवं 16/8/2010 एवं 20/01/2011 विचाराधीन रहे हैं। जिंन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

4 – यह कि एक अन्य प्रकरण F.No.CIC/AT/A/2008/01137 ShriD. N.Loharuka Vs HighCourt of Judicature at Mumbai में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनॉक 13/03/2009 को यह अभिमत निर्धारित किया गया है कि

" all the High Courts as Public Authorities under the Right to Information Act , 2005 will come within the jurisdiction of the Central Information Commission and not State Information Commission ."

5 – यह कि उपरोक्त अभिमत के आलेख में संदर्भित अपील प्रकरण माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग , नईदिल्ली के क्षेत्राधिकार में निर्णीत किया जाना चाहिए।

6 –यह कि माननीय राज्यसूचनाआयोग,उ0प्र0 ने अपने आदेश दिनॉक 28–4–2011 द्वारा संदर्भित अपील को बन्द करते हुए दाखिल-दफ्तर कर दिया है तथा माननीय केन्द्रीयसूचनाआयोग के आदेश की प्रतीक्षा में सुनवाई बन्द कर दी है।

अत: श्रीमान जी से विनय है कि उपरोक्त तथ्यों एवं स्थापित अभिमत के प्रकाश में संदर्भित अपील माननीय राज्यसूचनाआयोग से वापिस मंगाई जाकर उस पर सुनवाई की जावे एवं प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावे।

श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

दिनॉक 09/05/2011

प्रार्थी

वीरेश कुमार चौबे,एडवोकेट

सिविललाइन , ललितपुर

उत्तर प्रदेश

सत्यापन–मैं वीरेश कुमार चौबे इस प्रार्थनापत्र के समस्त मजमून को अपने निजी ज्ञान से सत्यापित करता हूँ कि सब सच व सही है यह सत्यापन आज दिनॉक 09/05/2011 को स्थान ललितपुर में किया गया। ईश्वर मेरी मदद करे।

वीरेश कुमार चौबे,एडवोकेट

संलग्नक– स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियाँ –

1- F.No. CIC/AT/A/2008/01137 dated 13th March, 2009 - पैरा 14
2- आदेश दिनांक 28-04-2011
3- प्रार्थनापत्र दिनांक 20-01-2011
4- आदेश दिनांक 03-12-2010
5- आदेश दिनांक 13-10-10
6- आदेश दिनांक 16-08-10
7- प्रार्थनापत्र दिनांक 16-08-10
8- आदेश दिनांक 26-05-10
9- प्रार्थनापत्र दिनांक 26-5-2010
10- आदेश दिनांक 24-2-2010
11- Letter No. IC 9165 Allahabad dated 22 Feb. 2010
12- प्रार्थनापत्र दिनांक 24-02-2010
13- आदेश दिनांक 30-11-09
14- आदेश दिनांक 05-10-09
15- प्रार्थनापत्र दिनांक 05-10-09
16- File No. CIC/MA/Misc Uttar Pradesh/08/0008 dated 22-08-2008
एवं पत्रांक 22781/रा०सू०आ०/2009 दिनांक 15 जून 2009 मय आवेदन दि० 27-04-09
17- अपील दिनांक 03-06-08
18- आदेश दिनांक 06-05-2008
19- प्रथम अपील दिनांक 05-04-2008
20- आदेश दिनांक 14-03-2008
21- सूचना आवेदन दिनांक 07-02-2008
22- प्रार्थनापत्र दिनांक 14-02-2008/15-02-2008

वीरेश कुमार चौबे,
एडवोकेट